डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 सितम्बर 2001—भाद्र 16, शक 1923

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2001

क्रमांक एफ-2-7/2001/1-8.—श्री प्रदीप पंत (भा.व.से.) स्थानापन्न संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, की सेवाएं तत्काल प्रभाव से, उनके पैतृक विभाग वन विभाग को वापस लौटाई जाती है.

श्री अरूण कुमार द्विवेदी (भा.व.से.) उप वन संरक्षक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, रायपुर जिनकी सेवाएं, वन विभाग द्वारा इस विभाग को सौंपी जा रही है, को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 20 अगस्त, 2001

क्रमांक एफ-2-1/2001/1-8/स्था.—इस विभाग का आदेश क्रमांक 4475-ए/2001/सा.प्र.वि., दिनांक 30 जून, 2001 जिसके

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001

द्वारा डॉ. ए. एन. राव (रा. प्र. से.) अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह, परिवहन, जेल विभाग को उसी हैसियत में लोक निर्माण, आवास, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में स्थानान्तरित किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब डॉ. ए. एन. राव को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम, खेल एवं युवक कल्याण विभाग पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 20 अगस्त, 2001

क्रमांक 226/224/2001/1-8/स्था.—श्री जी. एस. धनंजय (रा. प्र. से.) स्थानापन्न उप सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, रायपुर को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विमानन विभाग भी पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 अगस्त 2001

क्रमांक 647/15VIP/सा.प्र.वि./2001/2.—राज्य शासन द्वारा श्री सोनमनी बोराह, भा.प्र.से. (1999) सहायक कलेक्टर, दुर्ग को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी से प्रशिक्षण से लौटने के पश्चात् अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के पद पर पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 7 अगस्त 2001

क्रमांक 667/2103/सा.प्र.वि./2001/2.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 506/1929/साप्रवि/2, दिनांक 11-7-2001 द्वारा श्री डी. एस. मिश्रा, भा.प्र.से. (1982) को सचिव, मुख्य मंत्री, पर्यटन एवं ग्रामोद्योग विभाग के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से आयुक्त, वाणिज्यिक कर भी घोषित किया गया था.

2. अब राज्य शासन श्री डी. एस. मिश्रा, भा.प्र.से. को अतिरिक्त रूप से आयुक्त वाणिज्यिक कर के साथ-साथ पदेन सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग (विक्रय कर) घोषित करता है.

3. श्री डी. एस. मिश्रा द्वारा पदभार ग्रहण करने पर श्री एच. एल. प्रजापति केवल सचिव, वाणिज्यिक कर (विक्रय कर) के कार्यभार से मुक्त होंगे. वे सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी) पंजीयन एवं मुद्रांक एवं पदेन आयुक्त, आबकारी एवं महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक रहेंगे.

रायपुर, दिनांक 13 अगस्त 2001

क्रमांक 696/2322/सा.प्र.वि./2001/2.—राज्य शासन द्वारा श्री अजय पाल सिंह, भा.प्र.से. (1986), विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण, आवास, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से सचिव, मानव अधिकार आयोग, रायपुर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री एम. वी. सुब्बारेड्डी, भा. प्र. से. (एम.टी.-1993) जो त्रिपुरा संवर्ग से प्रतिनियुक्ति पर छत्तीसगढ़ संवर्ग में पदस्थ किये गये हैं, को उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा, जल संसाधन एवं आयाकट विभाग अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इंदिरा मिश्रा, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2001

क्रमांक एफ-2-6/2001/1-8/स्था.—डॉ. सुरेन्द्र दुबे, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, शासकीय आयुर्वेद चिकित्सालय, दुर्ग जिनकी सेवाएं लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति पर सौंपी जा रही है, को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, संस्कृति विभाग पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्टीफन खलखो, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2001

क्रमांक बी-1/4/2001/4/एक.—भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों की सेवाएं जो वर्तमान में उनके नाम से समक्ष कालम-3 पर दर्शाए पदों पर कार्यरत है, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के सामने दर्शाए कालम-4 में उल्लेखित पदों पर पदस्थ करने हेतु पं. एवं ग्रा. वि. वि. को सौंपी जाती है.

स.क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	डॉ. मनिन्दर कौर द्विवेदी. भा.प्र.से.(वर्ष 95)	अपर कलेक्टर सरगुजा.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,

(1)	(2)	(3)	(4)
			सरगुजा (अवकाश से लौटने पर).
2.	श्री सखा राम ठाकुर (आर.आर.-84,रा.प्र. से, प्र. श्रे.)	अपर कलेक्टर, जांजगीर-चांपा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जशपुर.
3.	श्री धनंजय देवांगन (आर.आर.-90,रा. प्र.से., व. श्रे.)	अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग तथा नगरीय प्रशासन विकास विभाग.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, धमतरी.

रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2001

क्रमांक 1000/1214/2001/1/5.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ मंत्रालय भवन का नाम ''दाऊ कल्याण सिंह भवन'' नामांकित किया जाता है.

2. अत: शासकीय काम-काज विशेषकर पत्राचार करते समय पूर्ण नाम का संबोधन एवं उपयोग किया जावे ताकि जिन उद्देश्यों से यह नामकरण किया गया है वह पूरा हो सके.

रायपुर, दिनांक 17 अगस्त 2001

क्रमांक एफ 2-8/2001/1-8/स्था.—श्री हिमांशु गुप्ता (भारतीय पुलिस सेवा), स्थानापन्न उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण, आवास, पर्यावरण, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, की सेवायें तत्काल प्रभाव से, उनके पैतृक विभाग गृह विभाग को वापिस लौटाई जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. सूर्य, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 14 अगस्त, 2001

क्रमांक 701/सा.प्र.वि./2001/2.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 647/15 व्ही आई पी/सा प्र वि/2001/2, दिनांक 2 अगस्त 2001 द्वारा श्री सोनमनी बोराह, भा. प्र. से. (1999) सहायक कलेक्टर, दुर्ग को स्थानांतरित करते हुए, अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के पद पर पदस्थ किया गया था, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दुर्गेश मिश्रा, संयुक्त सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 अगस्त, 2001

क्रमांक 5908/गृह/2001.—नक्सलवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा कानून व्यवस्था में सुधार करने एवं अपराधों को नियंत्रित करने के लिए राज्य शासन सरगुजा में नया क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय निर्मित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है. इसका मुख्यालय अंबिकापुर में होगा. इस कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में जिला सरगुजा, कोरिया, जशपुर नगर एवं नवनिर्मित जिला बलरामपुर सम्मिलित किए जाते हैं.

2. नए क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय सरगुजा के निर्माण के साथ ही क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर इन जिलों के पर्यवेक्षण के कार्यभार से मुक्त होंगे शेष जिलों बिलासपुर, रायगढ़, जांजगीर-चांपा एवं कोरबा पर उनका पर्यवेक्षण पूर्ववत् बना रहेगा.

3. उक्त आदेश दिनांक 15 अगस्त, 2001 से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. राजपाल, अपर सचिव.

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 अगस्त, 2001

क्रमांक 3616/1230/चिशि/2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. सुरेन्द्र दुबे, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, शासकीय आयुर्वेद चिकित्सालय, दुर्ग की सेवायें, सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को उनके आदेश क्रमांक एफ-2-6/2001/1-8/स्था, दिनांक 31-7-2001 के परिपालन में आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिनियुक्ति पर देने का निर्णय लेता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. आर. टोण्डर, अवर सचिव.

वन, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 अगस्त, 2001

क्रमांक एफ-7/24/व.सं./2001.—पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश शासन वन विभाग द्वारा संजय राष्ट्रीय उद्यान के गठन का उद्देश्य घोषित करते हुए वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 35 (1) के अंतर्गत अधिसूचना क्रमांक 15-06-80-10(2) दिनांक 23-9-1981 जारी की गई थी जिसमें वर्तमान छत्तीसगढ़ के कोरिया एवं सरगुजा जिले तथा मध्यप्रदेश के सीधी जिले का क्षेत्र सम्मिलित था. छत्तीसगढ़ राज्य के दिनांक 1-11-2000 को अस्तित्व में आ जाने के बाद भी कोरिया तथा सरगुजा जिले का संजय राष्ट्रीय उद्यान का भाग, जिसे नीचे परिशिष्ट में दर्शाया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य में भी यथावत् राष्ट्रीय उद्यान रहेगा और इसे अब "गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान" कहा जावेगा.

परिशिष्ट

जिला	- कोरिया (बैकुण्ठपुर) सरगुजा (अंबिकापुर)
वनमण्डल	- मनेन्द्रगढ़, कोरिया (बैकुण्ठपुर), उत्तर सरगुजा एवं दक्षिण सरगुजा (अंबिकापुर).
तहसील	- भरतपुर, सोनहत, सूरजपुर.
परिक्षेत्र का नाम	- मनेन्द्रगढ़ वनमंडल के जनकपुर परिक्षेत्र का भाग, कोरिया वनमंडल के रामगढ़, सोनहत, कोटाडोल एवं कमर्जी परिक्षेत्रों के भाग, उत्तर सरगुजा वनमंडल के बिहारपुर परिक्षेत्र का भाग एवं दक्षिण सरगुजा वनमंडल के कुदरगढ़ परिक्षेत्र का भाग.
राष्ट्रीय उद्यान का नाम	- गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान
राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल.	- 1440.705 वर्ग कि.मी.

सीमा

उत्तर :—

मनेन्द्रगढ़ वनमंडल के आरक्षित वन बनस्पत के मुनारा क्रमांक 279, जो मवई नदी पर स्थित है, से सीधी एवं कोरिया जिले की सीमा नेउर नदी तक. तत्पश्चात नेउर नदी के बहाव के विपरीत दिशा में ककराधार नाले के संगम तक व ककराधार नाले के विपरीत दिशा में नाले के निकट स्थित कमर्जी आरक्षित वन खण्ड का मुनारा क्रमांक 25 तक एवं मुनारा क्रमांक 25 से 134 तक एवं टिसकुली संरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 1 तक. मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 25 तक है जो गोइनी नदी पर स्थित है. गोइनी नदी के बहाव की विपरीत दिशा में (ओटना) आनन्दपुर ग्राम की सीमा रेखा पर स्थित मुनारा क्रमांक 101 तक एवं मुनारा क्रमांक 101 से मुनारा क्रमांक 13 तक जो पलारी नाले पर स्थित है. तत्पश्चात पलारी नाले के बहाव के विपरीत दिशा में सिरसोला नाले के संगत तक व सिरसोला नाले के बहाव के विपरीत दिशा में होते हुए चिलमघाट नाले पर स्थित दसेर ग्राम का मुनारा क्रमांक 87 तक. मुनारा क्रमांक 87 से मुनारा क्रमांक 16 तक जो चुनखाई नाले पर स्थित है, फिर चुनखाई नाले के बहाव की दिशा में सरगुजा, कोरिया एवं सीधी जिले के सामान्य रेखा होते हुए उत्तर सरगुजा वनमंडल बिहारपुर परिक्षेत्र के संरक्षित वनखंड बेगनपाट का मुनारा क्रमांक 175 तक एवं मुनारा क्रमांक 175 से 166 तक जो खैरी नदी पर स्थित है.

पूर्व :—

खैरी नदी पर स्थित मुनारा क्रमांक 166 से मुनारा क्रमांक 165 तक तथा मुनारा क्रमांक 165 से मुनारा क्रमांक 100 तक तथा मुनारा क्रमांक 100 से कक्ष क्रमांक 1101 एवं 1102 की सामान्य सीमा रेखा होते हुए मुनारा क्रमांक 79 तक एवं मुराना क्रमांक 79 से मुनारा क्रमांक 36 तक एवं उमझर संरक्षित वनखंड का मुनारा क्रमांक 1 तक. मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 14 तक तथा मुनारा क्रमांक 14 से कुकुर भुकरा वनखंड का मुनारा क्रमांक 119 तक एवं 119 से 107 तक तथा मुनारा क्रमांक 107 से प्राकृतिक सरहदी सीमा रेड़िया नदी कुकुर भुकरा वनखंड के मुनारा क्रमांक 106 तक तथा मुनारा क्रमांक 106 से मुनारा क्रमांक 43 रेहर नदी तक. कुकुर भुकरा संरक्षित वनखंड मुनारा क्रमांक 43 से प्राकृतिक सरहदी रेहर नदी से बरंगा एवं रेहर नदी के संगम तक तथा बरंगा नाला से कुकुरभुकरा संरक्षित वनखंड मुनारा क्रमांक 42 से 25 एवं मोहरसोप वनखंड के मुनारा क्रमांक 1 से बरंगा नदी पर स्थित मुनारा क्रमांक 35 एवं बरंगा नदी के मुनारा क्रमांक 37 तक एवं जंगिया नदी पर स्थित मुनारा क्रमांक 40 एवं मुनारा क्रमांक 41 उत्तर एवं दक्षिण सरगुजा के सामान्य सीमा तक तथा जंगिया नदी द्वारा प्रतिपादित सीमा संरक्षित वनखंड जंगिया मुनारा क्रमांक 65 तक एवं मुनारा क्रमांक 65 से प्राकृतिक सीमा जंगिया नदी एवं धुर्की नाला के मिलान तक एवं धुर्की नाला से जंगिया संरक्षित वनखण्ड का मुनारा क्रमांक 64 तक एवं मुनारा क्रमांक 64 से बड़का कछार नाला पर स्थित मुनारा क्रमांक 48 तक एवं बड़का कछार नाला होते हुए जंगिया नदी मिलान तक, जंगिया नदी होते हुए जंगिया वनखण्ड के आंतरिक (इनक्लेव) मुनारा क्रमांक 1 तक तथा मुनारा क्रमांक 1 से जंगिया वनखण्ड मुनारा क्रमांक 385 तक एवं मुनारा क्रमांक 385 से बड़का कछार नाला तक. बड़का कछार नाले के खाड़ा नाले के संगम होते हुए खाड़ा नाले के विपरीत दिशा में होते हुए कछाड़ी ग्राम के मुनारा क्रमांक 5 तक तथा मुनारा क्रमांक 5 से लोलकी ग्राम का मुनारा क्रमांक 25 तक तथा मुनारा क्रमांक 25 से मुनारा क्रमांक 1 तक व बड़का कछार नाले के बहाव के दिशा में छिंगुराधार नाले के संगम तक तथा छिंगुराधार नाला के बहाव के विपरीत दिशा में छिंगुराग्राम के उत्तरी सीमा पर स्थित पूर्व रामगढ़ संरक्षित वनखण्ड का मुनारा क्रमांक 5 तक.

दक्षिण :—

पूर्व रामगढ़ संरक्षित वनखंड का मुनारा क्रमांक 5 से मुनारा क्रमांक 28 एवं मेन्ड्रा आरक्षित वनखंड का मुनारा क्रमांक 24 तक तत्पश्चात् मुनारा क्रमांक 24 से 45 तक तथा मुनारा क्रमांक 45 से राजदेवरा संरक्षित वनखंड का मुनारा क्रमांक 35 तक एवं मुनारा क्रमांक 35 से मुनारा क्रमांक 52 एवं कदना आरक्षित वनखंड का मुनारा क्रमांक 13 तक तथा मुनारा क्रमांक 13 से मुनारा क्रमांक 1 एवं राजदेवरा संरक्षित वनखंड का मुनारा क्रमांक 53 तक तथा मुनारा क्रमांक 53 से 71 एवं पैरीनाला तक. पैरीनाला के बहाव की दिशा में गिधेर ग्राम का मुनारा क्रमांक 20 तक तथा मुनारा क्रमांक 20 से मुनारा क्रमांक 1 तक तथा गिधेर ग्राम की उत्तरी सीमा पर मुनारा क्रमांक 50 तक तथा मुनारा क्रमांक 50 से मुनारा क्रमांक 40 तक जो पैरीनाला पर स्थित है. तत्पश्चात् पैरीनाला के बहाव के दिशा में बगतुला नाला के मिलान तक एवं बगतुला नाला के बहाव के विपरीत दिशा में चंदहा ग्राम की उत्तरी सीमा पर स्थित मुनारा क्रमांक 1 तक एवं मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 131 तक तथा मुनारा क्रमांक 131 से मुनारा क्रमांक 117 तक तत्पश्चात् बहेराताली नाले से मुड़की नाले के मिलान तक. तत्पश्चात् मुड़की नाले के बहाव की विपरीत दिशा में जगसोत नाले के संगम तक एवं गरनई के निकट गवटीघोरा नाला के बहाव की दिशा में दलदला नाले तक. दलदला नाले के बहाव के विपरीत दिशा में पश्चिम रामगढ़ संरक्षित वनखंड मुनारा क्रमांक 151 तक तथा मुनारा क्रमांक 151 से पूर्व रामगढ़ संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 115 तक, पूर्व रामगढ़ संरक्षित वन खण्ड मुनारा क्रमांक 115 से गोपद नदी पर स्थित मुनारा क्रमांक 23 तक आगे गोपद नदी पर स्थित मुनारा क्रमांक 22 तक आगे गोपद नदी होते हुए मुनारा क्रमांक 22 से मुनारा क्रमांक 1 तक तथा मुनारा क्रमांक 1 से दसेर संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 284 तक एवं मुनारा क्रमांक 284 से मुनारा क्रमांक 228 एवं गोपद नदी तक. आगे गोपद नदी के बहाव की दिशा में मुनारा क्रमांक 227 तक, मुनारा क्रमांक 227 से राम नाले पर स्थित मुनारा क्रमांक 167 तक. आगे राम नाले के बहाव की दिशा में गोपद नदी के मिलान तक. तत्पश्चात् गोपद नदी एवं गोईनी नदी के संगम तक. गोईनी नदी के संगम से गोपद नदी लोधारनाला के मिलान तक, आगे लोधार नाला के बहाव के विपरीत दिशा में संरक्षित वनखंड कटवार के मुनारा क्रमांक 30 तक एवं मुनारा क्रमांक 30 से मुनारा क्रमांक 1 तक. मुनारा क्रमांक 1 से देवसीलझिरिया नाला होते हुए लोधार नाला के मिलान तक एवं लोधार नाला के बहाव के विपरीत दिशा में जोगीडांड नाला के मिलान तक फिर जोगीडांड नाला के बहाव के विपरीत दिशा में संरक्षित वनखंड देवसील के मुनारा क्रमांक 90 तक, मुनारा क्रमांक 90 से बडेरा आरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 1 तक, मुनारा क्रमांक 1 से गोईनी नदी पर स्थित मुनारा क्रमांक 43 तक. मुनारा क्रमांक 43 से गोईनी नदी के बहाव की विपरीत दिशा में बडेरा आरक्षित वनखंड मुनारा क्रमांक 44 तक, मुनारा क्रमांक 44 से मुनारा क्रमांक 134 तक एवं सनबोरा नाला होते हुए मुनारा क्रमांक 136 तक एवं मुनारा क्रमांक 136 से रोंक ग्राम का मुनारा क्रमांक 70 तक तथा मुनारा क्रमांक 70 से 1 तक. तत्पश्चात् सनबोरा नाला होते हुए छतौड़ा आरक्षित वनखंड का मुनारा क्रमांक 183 से मुनारा क्रमांक 231 एवं झिंगा नाला से नेउर नदी के मिलान तक. नेउर नदी के बहाव के दिशा में नदी पर स्थित बनस्पत आरक्षित वनखण्ड का मुनारा क्रमांक 123 तक तथा मुनारा क्रमांक 123 से 271 तक.

पश्चिम :—

कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ वनमंडल के बनस्पत आरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 271 से मुनारा क्रमांक 279 तक जो मवई नदी पर स्थित है अर्थात् सीधी एवं कोरिया जिले की सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम प्रकाश, अपर सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 अगस्त 2001

क्रमांक एफ 7-24/व.सं./2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-24/व.सं./2001 दिनांक 7-8-2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम प्रकाश, अपर सचिव.

Raipur, the 7th August 2001

No. F-7/24/F.C./2001.—The Government of erst-while Madhya Pradesh, Forest Department issued notification No. 15-06-80-10 (2) dated 23-09-1981 declaring its intention to constitute Sanjay National Park under Section 35 (1) of Wildlife (Protection) Act, 1972 including area of Korea and Surguja district of Chhattisgarh and area of Sidhi district of Madhya Pradesh. Even after creation of the new State of Chhattisgarh on 1-11-2000, the part of Sanjay National Park in Korea and Surguja district, as shwon in the schedule below, will remain as a National Park in Chhattisgarh State and it will be named as "Guru Ghasidas National Park".

SCHEDULE

District	-	Korea (Baikunthpur) Surguja (Ambikapur)
Forest Division	-	Manendragarh, Korea (Baikunthpur) North Surguja and South Surguja (Ambikapur).

Tahsil	-	Bharatpur, Sonhat and Surajpur.
Ranges	-	Manendragarh Division-Range Janakpur (Part), Korea Division-Range Ramgarh, Sonhat, Kotadol and Kamargee, (all parts) North-Surguja Division-Range Biharpur (Part), South Surguja Division-Range-Kudargarh (Part),
Name of the National Park.	-	Guru Ghasidas National Park
Area of the National Park.	-	1440.705 sq.kms.

BOUNDARY

North :—

From boundary pillar No. 279 of Banaspat Reserve Forest of Manendragarh Forest division situated on bank of Mawai River, the Common boundary of Sidhi and Korea district up to Neur river, then upstream of Neur river upto junction of Kakradhar Nala, them upstream of Kakradhar upto pillar No. 25 and pillar No. 25 to 134 of Kamarjee reserve forest and pillar No. 1 to 25 of Thiskoli protected forest near Goini river, then upstream of Gioni river to otna (Ananadpur) village boundary up to pillar No. 101 and pillar No. 1 to 13 which is on Polari Nala, then upstream of Polari nala upto junction of Sirola Nala, then upstream of Sirola Nala to Chilamghat Nala and pillar No. 87 of Dase village. Pillar No. 87 to 16 situated at Chunkhai Nala then down stream of Chunkhai Nala to common boundary of Surguja, Korea and Sidhi district and then to pillar No. 175 of Baiganpat projected forest of Biharpur range of North Surguja Forest division and pillar No. 175 to 166 situated on Khairee river.

East :—

Boundary pillar No. 166 to 165 situated on Khairee river and pillar No. 165 to 100 and from pillar No. 100 following the common boundary of compartment No. 1101 and 1102 up to pillar No. 79. From pillar No. 79 to 36 and 1 to 14 of Umjhar Protected forest then from pillar No. 14 to 119 of Kukurbhukra Protected forest. From pillar No. 119 to 107 to natural boundary of Rendia river up to pillar No. 106 of Kukurbhukra protected forest. Form pillar No. 106 to pillar No. 43 up to Rehar river. From pillar No. 43 of Kukurbhukra protected forest to natural boundary of Rehar river to the junction of the Baranga Nala. From Baranga nala to pillar No. 42 to 25 of the Moharsop protected forest and from pillar No. 1 to 35 situated at Baranga Nala and then to pillar No. 37. Pillar No. 40 to 41 at Jangiya river to the common boundary of North Surguja and South Surguja forest divisions. Boundary following by Jangiya river up to pillar No. 65 of Jangiya protected forest and from pillar No. 65 to the junction of Jangiya and Dhurki nalas and then to 64 of Jangiya protected forest to pillar No. 48 situated at the Badka Kachhar nala. Following Badka Kachhar nala upto junction of Jangiya river and following Jangiya river upto enclave pillar No. 1 of Jangiya protected forest. From pillar No. 1 to 385 upto Badka Kachhar Nala, from Badka Kachhar nala to the junction of Khada nala and upstream of Khada nala to pillar No. 5 of Kachhadi village and pillar No. 5 to pillar No. 25 to pillar No. 1 of Lolki village. Then to down stream of Badka Kachhar to nala junction of the Chhinguradhar nala then upstream of Chhinguradhar nala to the northern boundary of Chhinguradhar village and pillar No. 5 of East Ramgarh Protected forest.

South :—

Boundary pillar No. 5 to 28 of East Ramgarh Protected Forest and Pillar No. 24 of Mendra Reserve Forest from pillar No. 24 to 45 then pillar No. 45 to pillar No. 35 of the Rajbeaora Protected Forest then pillar No. 35 to pillar No. 52 and up to pillar No. 13 of Kadna Reserve forest, then pillar No. 13 to pillar No. 1 and pillar No. 53 of Rajdeora Protected forest, then Pillar No. 53 to 71 of the Rajbeora Protected Forest up to Pairy nala. Downstream of Pairynala up to pillar No. 20 of Gidher village and from Pillar No. 20 to pillar No. 1 and pillar No. 50 situated at Northern boundary of Gidher village, from pillar No. 50 to Pillar No. 40 situated at Pairy nala there after along pairy nala up to junction of Bamtula Nala and then up stream of Bamtula nala to pillar No. 1 situated at Northern periphery of Chandha village then pillar No. 1 to pillar No. 131 and pillar No. 131 to pillar No. 117, then Bahera tali nala up to junction of Mudkinala and upstream of Mudkinala up to junction of Jagsot nala and upstream of Gawtighora nala near village Garnai up to Daldala nala. Upstream of Gawtighora nala near village Garnai up to Daldala nala. Upstream of Daldala nala up to pillar No. 151 of West Ramgarh protected Forest and from pillar No. 151 to pillar No. 115 of East Ramgarh P. F. and from pillar No. 115 to pillar No. 23 situated at Gopad River. Them Gopad river to pillar No. 22 to pillar No. 1 From pillar No. 1 to pillar No. 284 of Daser protected Forest. Pillar No. 284 to pillar No. 228 of Daser Protected Forest up to the Gopad river. Then to pillar No. 227 in the downstream of Gopad river form pillar No. 227 to pillar No. 167 at the bank of Ram nala then towards junction of Ramnala and Gopad river there to junction of Gopad and Goini river. Then from junction of Goini river to Gopad up to junction of Lodhar nala, then to pillar No. 30 of Katwar

Protected Forest in the up stream of Lodhar nala. From pillar No. 30 to pillar No. 1. Then to Lodhar nala via Deosiljhiriya nala, then to junction of Jogidandnala to pillar No. 90 of Deosil protected Forest then pillar No. 1 of Badera R.F. and up to pillar No. 43 situated at Goini river, then up stream of Goini river from pillar no. 43 to pillar No. 44 of Badera R.F. and from there to pillar No. 134 to pillar No. 136, following the Sanbora nala and then to pillar No. 70 to pillar No. 1 of Ronk village. Then via Sanbora nala to pillar No. 183 to pillar No. 231 of Chhatauda Reserve Forest and then to Jhinga nala to Neur river, from pillar No. 123 to pillar No. 271 of Banaspat Reserve Forest.

West :—

From boundary pillar No. 271 of Banaspat Reserve Forest of Manendragarh Forest Division of Korea district to pillar No. 279 situated on Mawai river up to boundary of Korea and Sidhi District.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAM PRAKASH, Additional Secretary.

रायपुर, दिनांक 21 अगस्त, 2001

क्रमांक एफ-7/18/व.प.सं./2001.—चूंकि राज्य शासन का यह विचार है कि नीचे दर्शायी परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट आरक्षित वन क्षेत्र वन्य जीवों तथा उनके संरक्षण, विस्तार एवं विकास करने के प्रयोजन के लिए प्राणी जाति तथा प्राणी विज्ञान की दृष्टि से पर्याप्त महत्व का है.

अतएव वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (क्रमांक 53 सन् 1972) की धारा 26 ए (ब) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन नीचे परिशिष्ट में दर्शाये गये क्षेत्र को "अभ्यारण्य" क्षेत्र गठित करता है :—

यह अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी.

परिशिष्ट

जिला	-	कवर्धा
वन मण्डल	-	कवर्धा
तहसील	-	कवर्धा
अभ्यारण्य का नाम	-	भोरमदेव अभ्यारण्य
क्षेत्रफल	-	16380.80 या 163.80 वर्ग कि.मी.

सीमाओं का विवरण

उत्तर :—

कवर्धा से मंडला, पी. डब्ल्यू. डी. रोड जो आरक्षित वनखण्ड बंजारी के कक्ष क्रमांक 58 एवं 74, 59 एवं 73 तथा 59 एवं 72 की उभयनिष्ठ सीमा बनाती है.

पूर्व :—

बंजारी मंदिर के समीप पी.डब्ल्यू.डी. रोड से कक्ष क्रमांक 62-ए एवं 70 की उभयनिष्ठ कट लाइन एवं प्राकृतिक नाला, कक्ष क्रमांक 70-ए और 72 की उभयनिष्ठ कट लाइन, कक्ष क्रमांक 70-ए एवं 71, 69-ए एवं 68 की उभयनिष्ठ कट लाइन, प्राकृतिक नाला जो कक्ष क्रमांक 67 एवं 68 की उभयनिष्ठ सीमा है और पुष्प सरोवर भोरमदेव के समीप आरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 258 तक जाती है, तदोपरान्त ग्राम छपरी एवं मुनारा क्रमांक 258 से 248 तक बंजारी वन खण्ड की सीमा, तदोपरांत कक्ष क्रमांक 80 एवं 79, 81 एवं 82 तथा कक्ष क्रमांक 99-98 की उभयनिष्ठ सीमा बनाने वाला प्राकृतिक नाला ग्राम मंडला कोन्हा तक.

दक्षिण :—

आरक्षित वनखण्ड के कक्ष क्रमांक 98 एवं 99 एवं मंडला कोन्हा ग्राम के संधि बिन्दु से मुनारा क्रमांक 124 से 118 तक वन क्षेत्र एवं ग्राम सरोधा की उभयनिष्ठ सीमा, तत्पश्चात् कक्ष क्रमांक 100 एवं 97 तथा कक्ष क्रमांक 100 एवं 96 की उभयनिष्ठ सीमा बनाने वाला प्राकृतिक नाला एवं कट लाइन, ग्राम बांधा की उत्तरी सीमा पर बंजारी वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 73 से 51 तक ग्राम चौकी राजस्व ग्राम की सीमा तक बंजारी वन खंड की सीमा रेखा, तत्पश्चात् आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 101 तथा ग्राम चौकी बांधा की उभयनिष्ठ सीमा तदोपरान्त कवर्धा, रेंगाखार वन मार्ग जो कक्ष क्रमांक 107 एवं 101, 106 एवं 101 की उभयनिष्ठ सीमा बनाती है, तदोपरांत कक्ष क्रमांक 106 एवं 105 कट लाइन, तदोपरांत कक्ष क्रमांक 105 एवं 200 के संधि बिन्दु तक ग्राम महाराजपुर एवं कक्ष क्रमांक 105 के मध्य आरक्षित वन खण्ड की सीमा लाइन.

पश्चिम :—

ग्राम महाराजपुर के समीप कक्ष क्रमांक 200, 105 की संधि बिन्दु से सहसपुर लोहारा संरक्षित वन के कक्ष क्रमांक 202 एवं कवर्धा आरक्षित वन के कक्ष क्रमांक 105 की उभयनिष्ठ सीमा बनाती हुई आरक्षित वन की सीमा रेखा, तदोपरांत कक्ष क्रमांक 104 एवं संरक्षित वन कक्ष क्रमांक 202 की उभयनिष्ठ सीमा बनाने वाली आरक्षित वन की सीमा रेखा, तदोपरांत कक्ष क्रमांक 103 एवं 104 के मध्य उभयनिष्ठ सीमा बनाने वाला प्राकृतिक नाला ग्राम जामुनपानी तक, तदोपरांत ग्राम जामुनपानी से चिल्पी घाटी तक, रेंगाखार कवर्धा परिक्षेत्र की उभयनिष्ठ सीमा लाइन जो कक्ष क्रमांक पी. 38 एवं 104, पी. 390 एवं 105, पी 390 एवं 102, पी. 388 एवं 92, पी. 387 एवं 91, पी. 387 एवं 90, पी. 386 एवं 89, ग्राम शीतलपानी, प्रभुझोला के मध्य आर. एफ. लाइन 377 एवं 88, ग्राम बहनाखोदरा

के पूर्व सीमा पर स्थित कक्ष क्रमांक पी. 377 एवं 75, पी. 376 एवं 75, पी. 371 एवं 74 के उभयनिष्ठ सीमा बनाती है, तत्पश्चात् पी. 368 एवं 74 की उभयनिष्ठ सीमा जो कवर्धा-मंडला पी.डब्ल्यू.डी., रोड तक जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम प्रकाश, अपर सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 अगस्त 2001

क्रमांक एफ 7/18/व.प.सं./2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में भोरमदेव अभ्यारण्य की अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम प्रकाश, अपर सचिव.

Raipur, the 7th August 2001

No. F-7/18/F.C./2001.—Whereas the State Government considers that the Reserve Forest area specified in the schedule below is of adequate faunal and zoological singnificance for the purposes of protecting propagating and developing wild life and its enviorment.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by Section 26-A (b) of the wild life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Chhattisgarh Government hereby constitutes the area specified in the appendix below as "Sanctuary" area :—

This notification shall come into force from the date of publication in the Chhattisgarh Gazette.

APPENDIX

District	-	Kawardha
Forest Division	-	Kawardha
Tahsil	-	Kawardha
Name	-	Bhoramdeo Sanctuary
Area	-	16380.80 Ha. Or 163.80 Sq. km.

Description of Boundaries

North :—

Kawardha Mandla P.W.D. Road which makes the common boundary of compartment No. 58 and 74, 59 and 73 and 59 and 72 of Forest Block Banjari.

East :—

From PWD Road near Banjari Temple, the common cut line and natural nala of compartment No. 62-A and 72, common cut line of compartment No. 70-A and 72, 70 A and 71, 69A and 68, then natural nala which makes common boundary of compartment No. 67 and 68 upto boundary Pillar No. 258 of Reserve Forest Block and Pushp Sarovar near Bhoramdeo, then boundary line of village Chhapri and Reserve Forest line of Reserve Forest Block Banjari from the boundary pillar No. 258 to 248, then natural nala which forms the common boundary of compartment No. 80 and 79, 81 and 82, 99 and 98 upto village Mandla Konha.

South :—

From common point of compartment No. 99, 98 and Mandla Konha village, the common boundary of forest area and Sarodha village from pillar No. 124 to 118 of R.F., then a natural nala which forms the common boundary of compartment No. 100 and 97, 100 and 96, then on the north of village Bandha, the boundary of Banjari Forest Block from pillars No. 73 to 51 upto village Chauki, then boundary line of compartment No. 101 of forest block and common boundary line of village Chauki, Bandha, then Kawardha Rengakhar forest road which forms the common boundary of compartment No. 107 and 101, 106 and 101, then cut line of compartment No. 106 and 105, boundary line in between village Maharajpur and compartment No. 105 of Reserve Forest Block upto joining point of compartment No. 200 and 105.

West :—

From joining point of compartment No. 200 and 105 near the Maharajpur village, the reserve forest line of Kawardha Block which is common boundary of compartment No. 202 of Protected Forest Sahaspur Lohara and compartment No. 105 of Kawardha R.F., then R.F. line which forms the common boundary of compartment No. 104 R.F., and compartment No. 202, then a natural nala which forms the common boundary line between compartment No. 103 and 104 upto village Jamunpani, after that the common boundary of Rengakhar and Kawardha range upto Chilpighat which forms the common boundary of compartment No. P38 and 104, P 390 and 105, P 390 and 102, P 388 and 92, P 387 and 91, P 387 and 90, P 386 and 89, then in between Sheetalpani and Prabhujhola village, R.F., line 377 and 88, then on the eastern boundary of Bahnakhodra village, the common boundary of compartment No. P 377 and 75, P 376 and 75, P 371 and 74, then common boundary of compartment No. P 368 and 74 up to Kawardha Mandla P.W.D. Road.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAM PRAKASH, Additional Secretary.

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त, 2001

क्रमांक 1480/एफ-10-301/2001/वाक/पांच(36).—राज्य शासन एतद्द्वारा, अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विद्युत् उत्पादन संयंत्रों को रियायतें दिए जाने के संबंध में विचार करने हेतु मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक ए-3-32-94-वा.क./पांच/(69), दिनांक 14-9-98 द्वारा गठित राज्य स्तरीय समिति के गठन को संशोधित कर इस प्रदेश में निम्नानुसार गठित किया जाता है :—

1.	प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग	- अध्यक्ष
2.	उद्योग आयुक्त अथवा उनके प्रतिनिधि	- सदस्य
3.	आयुक्त, वाणिज्यिक कर अथवा उनके प्रतिनिधि.	- सदस्य
4.	कार्यपालिक संचालक, छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल.	- सदस्य
5.	मुख्य विद्युत निरीक्षक, छत्तीसगढ़	- सदस्य
6.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा नामांकित अधिकारी.	- सदस्य सचिव

2. उक्त अधिसूचना जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 अगस्त, 2001

क्रमांक3581/आबादी/सर्वेक्षण/राजस्व निर्धारण/2001.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 107 (2), 244 एवं 246 के प्रावधान के तहत आबादी भूमि के पट्टे प्रदाय करने के संबंध में निर्देश प्रसारित किये गये हैं. इस संबंध में मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20, सन् 1959) की धारा 58 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन द्वारा धारा 59 (ख) के तहत आबादी भूमि में निम्नानुसार भू-भाटक निर्धारण किया जाता है :—

1. रायपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र से 10 किलोमीटर की परिधि में आने वाले ग्रामों को छोड़कर एवं नगर निगम दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर एवं कोरबा सीमा क्षेत्र से 5 किलोमीटर की परिधि में आने वाले ग्रामों को छोड़कर शेष नगर निगम तथा नगरपालिका सीमा क्षेत्र के 5 किलोमीटर की परिधि में आने वाले ग्रामों के लिए 50 पैसे प्रति वर्गफीट भू-भाटक निर्धारित किया जाता है.

2. नगर पंचायत क्षेत्रों की सीमा के 2 किलोमीटर की परिधि में आने वाले ग्रामों के लिए 20 पैसा प्रति वर्गफीट भू-भाटक निर्धारित किया जाता है.

3. 5,000 एवं उसके ऊपर की जनसंख्या वाले ग्रामों के लिए 15 पैसे प्रति वर्गफीट भू-भाटक निर्धारित किया जाता है.

4. राज्य के शेष अन्य राजस्व ग्रामों के लिए 10 पैसे प्रति वर्गफीट भू-भाटक निर्धारित किया जाता है.

5. उपरोक्त भू-भाटक एक ही बार देय होगा एवं यह 10 वर्षों के लिए वैध होगा. 10 वर्ष के पश्चात् इसका पुनर्निर्धारण किया जाएगा.

6. यह अधिसूचना दिनांक 31 जुलाई, 2001 से प्रभावशील मानी जाएगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. सी. पाण्डेय, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग, ग्रामोद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 अगस्त, 2001

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक 1417/1452/वा.उ./2001.—वाणिज्य एवं उद्योग, ग्रामोद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 126/सी एण्ड आई/306/2001 रायपुर दिनांक 27-01-2001 में अंकित ''औद्योगिक केन्द्र विकास निगम'' के स्थान पर ''छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड'' पढ़ा जावे. इसी प्रकार ''म. प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रायपुर) लिमिटेड''

के स्थान पर "छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर" पढ़ा जावे.

Raipur, the 16th August 2001

Amended Notification

No. 1417/1452/वा.उ./2001.—In the notification issued by the Department of Commerce and Industries, Rural Industries, Public Sector Undertaking vide No. 126/C & I/306/2001 dated 27-1-2001, "Audyogik Kendra Vikas Nigam", be read as "Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Ltd." Similarly "Madhya Pradesh Audyogik Kendra Vikas Nigam (Raipur) Limited" be read as "Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Ltd., Raipur.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. बेहार, संयुक्त सचिव.

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 जुलाई, 2001

क्रमांक डी 2128/2266/आजाक/2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार मण्डल अधिसूचना क्रमांक एफ-1-4/25/आजाक/2000, दिनांक 16-1-2001 के अनुक्रम में अनुमोदनानुसार निम्नांकित 23 सदस्यों के नाम जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है :—

क्र. (1)	नाम (2)	जाति (3)	पता (4)
1.	श्री आर. पी. साहू	साहू	भगत सिंह वार्ड, जगदलपुर.
2.	श्री मूरीत राम साहू	साहू	पूर्व अध्यक्ष-साडा-कोरबा
3.	श्री धनीराम साहू	साहू	भूपदेवपुर, जिला-रायगढ़
4.	श्रीमती उषा राठौर	राठौर	जनपद अध्यक्ष, सक्ती
5.	श्रीमती प्रतिभा गोपाल	यादव	बीड़पारा सारंगढ़, रायगढ़
6.	श्री खगेश्वरसिंह देवांगन.	कोष्टा	म. नं. 111, न्यू कालोनी टिकरापारा, रायपुर.
7.	श्रीमती शकुन्तला यादव	यादव	पामगढ़ (जनपद सदस्य) जिला जांजगीर-चांपा.
8.	श्री महावीर पटेल	मरार	ग्राम चपले, जिला-रायगढ़
9.	श्री एफ.डी.मानिकपुरी	मानिकपुरी	परसाभाठा बाल्को, जिला कोरबा.
10.	श्री आनंदराम केवट रिटा.अधी.यंत्री,वि.मं.	केवट	बरपाली जिला-कोरबा
11	श्रीमती गायत्री निषाद	केवट	सदस्य, जिला पंचायत, रायपुर.
12.	श्री शांतिकुमार केवट	केवट	अध्यक्ष, नगर पंचायत शिवरीनारायण.
13.	श्री अनिल सोनी	सोनी	अध्यक्ष, नगरपालिका मुंगेली, बिलासपुर.
14.	श्री विश्वभर गुलहरे	कलार	एडवोकेट जरहाभाठा बिलासपुर.
15.	श्री शरद थवाइत	थवाइत	गुरूदेव ट्रेडर्स, जांजगीर
16.	श्री छबिलाल पांडे	कुम्हार	ग्रा. पो. भण्डार विवनी परसगांव बस्तर.
17.	श्री अमृतलाल श्रीवास	नाई	कोरबा
18.	श्री मनराखनलाल निर्मलकर.	धोबी	ग्रा. पो. बेंगचा, जिला-महासमुन्द.
19.	श्री करनसिंह ठाकुर	धाकड़	पो. गीदम, दन्तेवाड़ा
20.	श्री निर्मलदास वैष्णव	वैष्णव	चंदनीयापारा जांजगीर
21.	श्री भैयालाल राजवाड़े	राजवाड़े	अध्यक्ष नगर पंचायत सूरजपुर, जिला सरगुजा.
22.	श्रीमती ललितादेवी नामदेव.	छिपी	पेण्ड्रारोड, बिलासपुर
23.	श्रीमती मीना देवांगन	देवांगन	एम. आई. जी. 1/136 एम.पी. नगर, कोरबा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार धुर्वे, अवर सचिव.

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अगस्त, 2001

क्रमांक 1666/1931/ज.सं./2001.—राज्य शासन द्वारा विभागीय आदेश क्रमांक 1178/1931/ज.सं./2001 दिनांक 8-6-2001 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री एन. एल. अग्रवाल, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर को दिनांक 11-06-2001 से दिनांक 23-06-2001 तक (कुल 13 दिन) का अर्जित अवकाश म. प्र. अवकाश नियम 1977 के नियम 25 में निहित प्रावधानानुसार स्वीकृत

किया जाता है. साथ ही दिनांक 09-06-2001, 10-06-2001 एवं 24-06-2001 को पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश के उपभोग की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. एल. अग्रवाल, प्रमुख अभियंता, यदि अवकाश पर नहीं रहते तो अपने पद पर बने रहते, अत: उक्त अवधि की गणना म. प्र. मूलभूत नियम 26 (बी) 2 के तहत वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये गणना योग्य होगी.

3. म. प्र. सिविल सेवायें/अवकाश नियम-1977 के नियम (2) के अनुसार दिनांक 25-06-2001 को उनके अवकाश खाते में 227 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एम. वर्मा, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग,
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 अगस्त, 2001

क्रमांक 248/430/उप-सचिव/आवास/पर्यावरण/2001.—मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

(1) (i) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2001 है.
(ii) यह नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

(2) इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट, समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियों को छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थे, एतद्द्वारा अब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाये. उपांतरणों के अध्यधीन रहते हुये समस्त विधियों में शब्द ''मध्यप्रदेश'' जहां कहीं भी वे आये हों, के स्थान पर शब्द ''छत्तीसगढ़'' स्थापित किये जायें.

(3) अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसकें अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये कोई भी बात या की गई कोई कार्यवाही किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम, प्रारूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त रहेगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विधियों के नाम (2)
1.	मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम, 1976.
2.	मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व नियम, 1976.
3.	सह स्वामित्व भवन (कंडोमिनियम) की उपविधियां.
4.	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 1975.
5.	मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984.
6.	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश विकसित भूमियों, गृहों, भवनों तथा अन्य संरचनाओं का व्ययन नियम, 1975.
7.	मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण सेवा (अधिकारी तथा सेवक) भर्ती नियम, 1988.

Raipur, the 13th August 2001

No. 248/430/DS/ H & E/2001.—In exercise of the Powers conferred by Section 79 of Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000 (No. 28 of 2000) the State Government, hereby, makes the following orders, namely :—

ORDER

1. (i) This order may be called the Adaptation of Laws order, 2001.
(ii) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November,2000.

2. The laws as amended from time to time, specified in the schedule to this order, which were in force in the State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh, are hereby extended to and shall be in force in the State of Chhattisgarh until repealed or amended. Subject to the modification that in all the law's for the words "Madhya Pradesh" wherever they occur the words "Chhattisgarh" shall be sustituted.

3. Anything done or any action taken including any appointment, notification, notice, order, rule, form, regulation, certificate or license in exercise of the powers conferred by or under the laws specified in the schedule shall continue to be inforce in the State of Chhattisgarh.

S. No. (1)	Name of the Law's (2)
1.	Madhya Pradesh Swamitwa Adhiniyam, 1976.
2.	Madhya Pradesh Swamitwa Niyam, 1976.
3.	Sah Swamitwa Bhawan (Condominiyam) Ki Upvidhiyan.
4.	Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Niyam, 1975.
5.	Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam, 1984
6.	Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Viksit Bhumiyon, Grahon, Bhawano Tatha Sanrachanaon Ka Vayayan Niyam, 1975.
7.	Madhya Pradesh Development Authority Services, Rules, 1988.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढॉड़, सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 अगस्त 2001

क्रमांक 190/563/अप/01.—राज्य शासन, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 की धारा 6 की उपधारा 4 के निमित्त छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल को प्राधिकरण तथा मुख्य अभियंता एवं विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल को अधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट करता है.

राज्य शासन छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के अधिकारियों/कर्मचारियों को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम 1977 की धारा 9 के निमित्त विशेष सशक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय शुक्ला, उप-सचिव.

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 अगस्त, 2001

क्रमांक एफ-10-7/13/2001.—छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 2001 की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ट) के उपखंड (एक), (दो), (चार), (पांच), (छः) और (सात) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को माध्यमिक शिक्षा मंडल के सदस्यों के रूप में नामनिर्दिष्ट करती है और उनके नाम "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार अधिसूचित करती है, अर्थात :—

1. श्रीमती जया तवारिस, प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रायपुर.
2. श्री बी. डी. बर्रे, प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अहिवारा, जिला दुर्ग.
3. श्री सी.बी. साहू, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डाइट, बस्तर.
4. श्री अजयनाथ, व्याख्याता माध्यमिक शाला, बैतलपुर जिला, बिलासपुर.
5. श्रीमती नाहिद खान, व्याख्याता दानी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रायपुर.
6. श्री कुलदीपसिंह ठाकुर, व्याख्याता अंग्रजी, श्रृंगी ऋषि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नगरी जिला, धमतरी.
7. सिस्टर सरिता, होलीक्रास स्कूल पेंशनवाडा परिसर, रायपुर.
8. श्री चैनसिंह सामले, विधायक, मालखरोदा, जिला जांजगीर.
9. श्रीमती फूलोदेवी नेताम, विधायक, केशकाल, जिला बस्तर
10. श्री अग्नि चन्द्राकर, विधायक, महासमुन्द
11. श्री महन्त रामसुन्दर जी, दूधाधारी मठ, रायपुर.
12. श्री जी. एल. जोशी सेवानिवृत्त उप-संचालक, शिक्षा जय स्तम्भ चौक, डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव.
13. श्री देवीप्रसाद जी बच्चूजांजगीरी, रायपुर.
14. श्री लक्ष्मण मस्तूरिया, ब्रम्हपुरी, रायपुर.

2. उपरोक्त नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि इस अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 3 वर्ष की होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील कुमार कुजूर, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 अगस्त 2001

क्रमांक एफ-10-7/13/2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-7/13/2001 दिनांक 3 अगस्त 2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील कुमार कुजूर, विशेष सचिव.

Raipur, the 3rd August 2001

No. F-10-7/13/2001.—In exercise of the powers conferred by sub-clauses (i), (ii), (iv), (v), (vi) and (vii) of clause (T) of sub-section (1) of Section 4 of the Chhattisgarh Madhyamik Shkisha Adhiniyam, 2001, the

State Government hereby nominate the following persons as members of the Board of Secondary Education and notify their names in the Chhattisgarh Rajpatra as required by sub-section (2) of the said Section, namely :—

1. Smt. Jaya Tawaris, Principal, Government Higher Secondary School, Raipur.
2. Shri B. D. Barre, Principal, Government Higher Secondary School, Ahiwara, Distt. Durg.
3. Shri C. B. Sahu, Principal, DIET, Bastar.
4. Shri Ajainath, Lecturer, High School, Baitalpur, Distt. Bilaspur.
5. Smt. Nahid Khan, Lecturer, Dani Higher Secondary School, Raipur.
6. Shri Kuldip Singh Thakur, Lecturer (English) Shrangi Rishi Higher Secondary School, Nagri Distt. Dhamtari.
7. Sister Sarita, Holy Cross School Pensionbada Premises, Raipur.
8. Shri Chain Singh Samle, M.L.A. Malkharoda, Distt. Janjgir.
9. Smt. Phoolodevi Netam, M. L.A. Keshkal Distt., Bastar.
10. Shri Agni Chandrakar, M.L.A. Mahasamund.
11. Shri Mahant Ramsunderdasji, Dudhdhari Math, Raipur.
12. Shri G. L. Joshi, Retd. Dy. Director, Education Jai Stambha Chowk, Dongargarh Distt. Rajnandgaon.
13. Shri Devi Prasadji Bachujanjgiri, Raipur.
14. Shri Laxman Masturia, Bramhapuri, Raipur.

2. The term of office of the above naminated members shall be three years from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SUNIL KUMAR KUJUR, Special Secretary.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 जुलाई, 2001

क्रमांक 1925-21-ब.— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती रमा चौरसिया, अधिवक्ता, कोरबा को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से फास्ट ट्रेक कोर्ट, कोरबा में अतिरिक्त लोक अभियोजन नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2001

क्रमांक 1577/21-ब.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री संतोष महापात्र, अधिवक्ता, जशपुर को फास्ट ट्रेक कोर्ट में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए शासन द्वारा देय पारिश्रमिक पर अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2001

क्रमांक 1577/21-ब.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री जे. आर. रोशन, अधिवक्ता, जशपुर को फास्ट ट्रेक कोर्ट में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए शासन द्वारा देय पारिश्रमिक पर अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2001

क्रमांक 1577/21-ब.— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन श्री संतोष महापात्र, अधिवक्ता, जशपुर को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से फास्ट ट्रेक कोर्ट, जशपुर में अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2001

क्रमांक 1602/21-ब.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती सलमा रिजवी, अधिवक्ता, केदारपुर को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से फास्ट ट्रेक कोर्ट, अंबिकापुर में अतिरिक्त लोक अभियोजक, नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2001

क्रमांक 1577/21-ब.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन श्री जे. आर. रोशन, अधिवक्ता,

जशपुर को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से फास्ट ट्रेक कोर्ट, जशपुर में अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2001

क्रमांक 1956-21-ब.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन श्री अजय कुमार शर्मा, अधिवक्ता, कांकेर को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से फास्ट ट्रेक कोर्ट, कांकेर में अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. यदु, अतिरिक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2001

क्रमांक 3936/480/21-ब (छ.ग.).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री रामसिंह ठाकुर (अपर कलेक्टर) आयुक्त, नगर निगम, भिलाई को दुर्ग जिले में अपर जिला मजिस्ट्रेट दुर्ग नियुक्त करता है और यह निर्देश देता है कि वे उक्त संहिता के अधीन तथा तत्समय प्रदत्त किसी अन्य विधि के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेंगे.

रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2001

क्रमांक 4312/डी-2028/21-ब/छ.ग.—राज्य शासन, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक अधिकरण को समाप्त करने के विरुद्ध श्री ए. के. श्रीवास्तव एवं मध्यप्रदेश बार एसोसिऐशन, द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर की गई याचिका में छत्तीसगढ़ शासन की ओर से पैरवी करने हेतु श्री प्रेम फ्रांसिस, अधिवक्ता को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक की अवधि के लिए रुपये 1500/- (रुपये एक हजार पांच सौ) केवल निश्चित् मासिक पारिश्रमिक पर शासकीय अधिवक्ता नियुक्त करता है. उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का नोटिस देकर या संविदा समाप्त करने के लिये स्वतंत्र होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. आर. गुरुपंच, उप-सचिव.

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 जुलाई, 2001

क्रमांक 2176/2542/2001/न. प्र.—राज्य शासन, सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 की धारा-5 के तहत निम्नानुसार नगरपालिक निगमों के लिए उनके समक्ष दर्शित अधिकारियों को कार्यपालक प्राधिकारी नियुक्त करता है :—

नगर निगम का नाम	कार्यपालक प्राधिकारी का नाम
1. नगरपालिक निगम, रायपुर.	अनुविभाग दण्डाधिकारी, रायपुर
2. नगरपालिक निगम, दुर्ग	अनुविभाग दण्डाधिकारी, दुर्ग
3. नगरपालिक निगम, भिलाई.	अनुविभाग दण्डाधिकारी, भिलाई नगर
4. नगरपालिक निगम, कोरबा.	अनुविभाग दण्डाधिकारी, कोरबा
5. नगरपालिक निगम, बिलासपुर.	अनुविभाग दण्डाधिकारी, बिलासपुर
6. नगरपालिक निगम, राजनांदगांव.	अनुविभाग दण्डाधिकारी, राजनांदगांव

उपर्युक्त कार्यपालक अधिकारियों को एतद्द्वारा निम्नांकित शक्तियां प्रदान की जाती हैं तथा निम्नानुसार कर्त्तव्य अधिरोपित किये जाते हैं :—

(1) कार्यपालक प्राधिकारी शुष्क शौचालयों को स्वतः निरीक्षण कर सकेंगे एवं निरीक्षकों के माध्यम से इनका निरीक्षण करवा सकेंगे.

(2) शुष्क शौचालयों के स्वामियों को अधिनियम के प्रयोजनों के लिये निर्देश/नोटिस जारी कर सकेंगे.

(3) अधिनियम की धारा 14 के आधीन अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही कर सकेंगे.

(4) अधिनियम के प्रयोजन तथा अधिनियम के उद्देश्यों के अधीन संबंधित नगर निगम के लिये योजना बनाकर राज्य शासन को प्रेषित कर सकेंगे.

(5) अधिनियम के अधीन शुष्क शौचालयों को जलशील शौचालय में संपरिवर्तित करने के प्रक्रिया तथा सामुदायिक शौचालयों या साझा शौचालयों के बाबत् फीस का संग्रहण करने हेतु प्रक्रिया का निर्धारण कर सकेंगे.

कर्त्तव्य

(1) शुष्क शौचालयों का जल-सील शौचालयों में संपरिवर्तन करने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना, कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं समीक्षा.

(2) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही करना.

रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2001

क्रमांक 2176/2542/2001/न.प्र.—सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, छत्तीसगढ़ राज्य स्थित समस्त नगरपालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के लिए संबंधित नगरपालिका परिषदों एवं नगर पंचायत क्षेत्र में क्षेत्राधिकार रखने वाले अनुविभागीय दण्डाधिकारी को कार्यपालन प्राधिकारी नियुक्त करता है.

उपरोक्त कार्यपालक अधिकारियों को एतद्द्वारा निम्नांकित शक्तियां प्रदान की जाती हैं तथा निम्नानुसार कर्त्तव्य अधिरोपित किये जाते हैं :—

(1) कार्यपालक प्राधिकारी शुष्क शौचालयों का स्वत: निरीक्षण कर सकेंगे एवं निरीक्षकों के माध्यम से इनका निरीक्षण करवा सकेंगे.

(2) शुष्क शौचालयों के स्वामियों को अधिनियम के प्रयोजनों के लिये निर्देश/नोटिस जारी कर सकेंगे.

(3) अधिनियम की धारा 14 के आधीन अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही कर सकेंगे.

(4) अधिनियम के प्रयोजन तथा अधिनियम के उद्देश्यों के अधीन संबंधित नगर निगम के लिये योजना बनाकर राज्य शासन को प्रेषित कर सकेंगे.

(5) अधिनियम के अधीन शुष्क शौचालयों को जलशील शौचालय में संपरिवर्तित करने के प्रक्रिया तथा सामुदायिक शौचालयों या साझा शौचालयों के बाबत् फीस का संग्रहण करने हेतु प्रक्रिया का निर्धारण कर सकेंगे.

कर्त्तव्य

(1) शुष्क शौचालयों का जल-सील शौचालयों में संपरिवर्तन करने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना, कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं समीक्षा.

(2) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही करना.

रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2001

सूचना

क्रमांक 2176/2542/2001/न.प्र.—सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 की धारा (9) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन छत्तीसगढ़ राज्य की समस्त नगरपालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के लिये संबंधित नगरपालिका परिषद एवं नगर पंचायत के वरिष्ठतम स्वच्छता निरीक्षक को निरीक्षक नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय देवांगन, अवर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, दुर्ग (छ. ग.)

दुर्ग, दिनांक 30 जून 2001

क्रमांक 11382/प्र.कले./2001.—म. प्र. शासन विधि और विधायी कार्य विभाग के पत्र क्रमांक 17/ई.40/99/2 (ब) दो भोपाल दिनांक 8-4-99 में दिये गये निर्देशों के तहत धर्म, कर्म कराने वाले पास्टर श्री मोरीसन एम. वॅशी रहबोथ प्रार्थना भवन समिति निवासी क्वार्टर 1 बी सड़क 4 हास्पिटल सेक्टर 4 भिलाई को विवाह अनुष्ठापित कराने और भारतीय क्रिश्चियन (ईसाईयों) के बीच होने वाले विवाहों के प्रमाण-पत्र देने हेतु दुर्ग जिले के लिये अनुज्ञप्ति मंजूर किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक [illegible] जुलाई 2001

क्रमांक 11495/प्र.कले./2001.—म. प्र. शासन विधि और विधायी कार्य विभाग के पत्र क्रमांक 17/ई.40/99/2 (ब) दो भोपाल दिनांक 8-4-99 में दिये गये निर्देशों के तहत धर्म, कर्म कराने वाले पास्टर श्री प्रवीण लारेन्स निवासी इन्दिरा नगर भिलाई चरौदा चर्च आफ गाड को विवाह अनुष्ठापित कराने और भारतीय क्रिश्चियन (ईसाईयों) के बीच होने वाले विवाहों के प्रमाण-पत्र देने हेतु दुर्ग जिले के लिये अनुज्ञप्ति मंजूर किया जाता हैं.

(आई.सी.पी.केशरी)
कलेक्टर
दुर्ग

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,

क्रमांक -क/भू-अर्जन/31.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चांपा	लखाली प. ह. नं. 14	1.025	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो बांध विभाग क्र.2, चांपा.	लखाली माइनर नं. 11 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 12 जुलाई 2001

क्रमांक -क/भू-अर्जन/32.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चांपा	सरवानी प. ह. नं. 14	1.732	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगों बांध विभाग, क्र. 2, चांपा	सरवानी माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 12 जुलाई 2001

क्रमांक -क/भू-अर्जन/33.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चांपा	लखाली प. ह. नं. 14	1.306	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगों बांध विभाग, क्र. 2, चांपा	लखाली माइनर नं. 13 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 12 जुलाई 2001

क्रमांक -क/भू-अर्जन/34.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चांपा	चोरिया प. ह. नं. 13	0.097	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगों बांध विभाग क्र. 2, चांपा.	सरवानी माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 12 जुलाई 2001

क्रमांक -क/भू-अर्जन/35.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चांपा	रोहदा प. ह. नं. 11	1.180	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो बांध विभाग, क्र. 2, चांपा	रोहदा डिस्ट्रीब्यूटरी निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 12 जुलाई 2001

क्रमांक -क/भू-अर्जन/36.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चांपा	जाटा प. ह. नं. 4	1.199	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो बांध विभाग, क्र. 2, चांपा.	अमरूवा माइनर नं. 2 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 12 जुलाई 2001

क्रमांक -क/भू-अर्जन/37.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चांपा	भंवरेली प. ह. नं. 12	0.129	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो बांध विभाग, क्र. 2, चांपा	लखाली डिस्ट्रीब्यूटरी निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 12 जुलाई 2001

क्रमांक -क/भू-अर्जन/38.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चांपा	परसापाली प. ह. नं. 13	0.049	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो बांध विभाग, क्र. 2 चांपा.	परसापाली डिस्ट्रीब्यूटरी निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 12 जुलाई 2001

क्रमांक -क/भू-अर्जन/39.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	कुरदा प. ह. नं. 3	0.077	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 5 खरसिया.	पुटीकेला उप शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 12 जुलाई 2001

क्रमांक -क/भू-अर्जन/40.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	बुढ़नपुर प. ह. नं. 2	0.714	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5, खरसिया	खरसिया शाखा नहर के अंतर्गत स्केप चेनल व्ही.आर.व्ही. एवं हरमेन्ट निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 12 जुलाई 2001

क्रमांक -क/भू-अर्जन/41.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	जुड़गा प. ह. नं. 4	1.860	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	खरसिया शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 12 जुलाई 2001

क्रमांक -क/भू-अर्जन/42.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की [illegible] (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 [illegible] के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	गतवा प. ह. नं. 26	0.004	कार्यपालन यंत्री, हसदेव बराज आर.बी.सी., जल प्रबंध संभाग रामपुर, कोरबा.	गतवा माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 12 जुलाई 2001

क्रमांक -क/भू-अर्जन/43.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	रसौटा प. ह. नं. 28	0.129	कार्यपालन यंत्री, हसदेव बराज आर.बी.सी. जल संसाधन संभाग, रामपुर, कोरवा.	रसौटा माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 12 जुलाई 2001

क्रमांक -क/भू-अर्जन/44.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	छीतापाली प. ह. नं. 26	0.085	कार्यपालन यंत्री, हसदेव बराज आर.बी.सी. जल संसाधन विभाग, रामपुर, कोरबा.	छीतापाली माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 12 जुलाई 2001

क्रमांक -क/भू-अर्जन/45.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	खारी प. ह. नं. 25	0.053	कार्यपालन यंत्री, हसदेव बराज आर.बी.सी. जल प्रबंध संभाग, रामपुर, कोरबा.	गतवा माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 12 जुलाई 2001

क्रमांक -क/भू-अर्जन/46.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	करमा प. ह. नं. 25	0.028	कार्यपालन यंत्री, हसदेव बराज आर.बी.सी. जल प्रबंध संभाग, रामपुर, कोरबा.	छीतापाली माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 12 जुलाई 2001

क्रमांक -क/भू-अर्जन/47.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	करमा प. ह. नं. 25	1.075	कार्यपालन यंत्री, हसदेव बराज आर.बी.सी. जल प्रबंध संभाग, रामपुर, कोरबा.	करमा माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 12 जुलाई 2001

क्रमांक -क/भू-अर्जन/48.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	छीतापाली प. ह. नं. 26	1.533	कार्यपालन यंत्री, हसदेव बराज आर.बी.सी. जल प्रबंध संभाग, रामपुर, कोरबा	छीतापाली माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 31 जुलाई 2001

क्रमांक -क/भू-अर्जन/क्र 2.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चांपा	कोसमंदा प. ह. नं. 4	0.299	डिप्टी चीफ इंजीनियर रेल्वे बिलासपुर.	चांपा सरगबुंदिया बाइपास एवं फ्लाई ओव्हर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 अगस्त 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/क. 3.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 के धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	हरदी विशाल प. ह. नं. 23	8.917	सिनियर मैनेजर, एन.टी.पी.सी. सीपत, बिलासपुर.	पंप हाऊस निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 8 मई 2001

क्रमांक 568/ले. पा./2001/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	कोचेरा प. ह. नं. 21	19.52	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोंहदीपाट नहर परियोजना संभाग, दुर्ग.	नहर निर्माण हेतु.

दुर्ग, दिनांक 8 मई 2001

क्रमांक 569/ले. पा./2001/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	फरदडीह प. ह. नं. 20	1.83	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोंहदीपाट नहर परियोजना संभाग, दुर्ग.	नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 8 मई 2001

क्रमांक 570/ले. पा./2001/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजम का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	मुढ़िया प. ह. नं. 13	6.91	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोंहदीपाट नहर परियोजना संभाग, दुर्ग.	नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 8 मई 2001

क्रमांक 571/ले. पा./2001/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	मुड़खुसरा प. ह. नं. 20	36.91	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोंहदीपाट नहर परियोजना संभाग, दुर्ग.	नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 8 मई 2001

क्रमांक 572/ले. पा./2001/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	भीमकन्हार प. ह. नं. 13	5.48	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोंहदीपाट नहर परियोजना संभाग, दुर्ग.	नहर निर्माण हेतु.

दुर्ग, दिनांक 8 मई 2001

क्रमांक 573/ले. पा./2001/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	मुड़खुसरा प. ह. नं. 20	9.22	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोंहदीपाट नहर परियोजना संभाग, दुर्ग.	नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 31 अगस्त 2001

क्रमांक 960/ले. पा./2001/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	नारगी प. ह. नं. 23	9.87	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोंहदीपाट नहर परियोजना संभाग, दुर्ग.	नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केशरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.